भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **963**
दिनांक 10 फरवरी , 2021 / 21 माघ,1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानपत्तनों के लिए भूमि के स्वामित्व का विवाद</u>

963. श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों का निजीकरण किया है, यिद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत दो वर्षो के दौरान सरकार द्वारा जिन विमानपत्त्नों का निजीकरण किया गया है उनमें से उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनका संबंधित राज्य सरकारों के साथ भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद है?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)</u>

(क): पिछले दो वर्ष के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने छह हवाईअड्डे, नामत: अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुम और मंगलुरु को प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास के लिए 50 वर्ष की लीज अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम के तहत उच्चतम बोलीदाता अर्थात मैसर्स अडाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड (एईएल) को एवार्ड किया है। अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाईअड्डों के लिए रियायत करार पर 14.02.2021 को हस्ताक्षर किए गए और जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतरपुरम हवाईअड्डों के लिए रियायत करार पर 09.01.2020 को हस्ताक्षर किए गए। अहमदाबाद हवाईअड्डा 07.11.2020 को, लखनऊ 02.11.2020 को और मंगलुरु 31.10.2020 को सौंपा गया है। रियायत करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा रियायत करार में परिभाषित मानकों के अनुसार इन हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास कार्य हाथ में लेना और साथ ही एएआई को प्रति यात्री शुल्क का भुगतान किया जाना भी अपेक्षित है, जिसे लीज अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जोड़ा गया है।

(ख): पीपीपी के अंतर्गत लाए गए छह हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा भूमि एएआई की है और इसलिए, एएआई अधिनियम, 1994 (2003 में यथा संशोधित) की धारा 12क में निहित प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डा भूमि लीज पर दी गई है।